पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या –1 के वकील उपस्थित । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सक्षिप्त तथ्य पेश कर जाहिर किया की प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 31 की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि सरहद मौजा सीतली तहसील पचपदरा में खेत खसरा नंबर 129 रकबा 5 बीघा 14 विस्वा, खसरा संख्या 13 रकबा 18 बीघा 10 विस्वा खसरा संख्या 35 रकबा 12 बीघा 15 विस्वा, खसरा संख्या 79 रकबा 6 बीघा 13 विस्वा, खसरा संख्या 90 रकबा 6 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 106 रकबा 7 बीघा 18 विस्वा, खसरा संख्या 147 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, खसरा संख्या 148 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 188/87 रकबा 10 बीघा जुमम्ले खसरा 8 कुल रकबा 73 बीघा 7 विस्वा किस्म बा.अ. एवं खसरा संख्या 48 रकबा 11 बीघा 13 विस्वा किस्म बा.अ व खसरा संख्यचा 39 रकबा 14 बीघा 1 विस्वा किस्म बा.अ. स्थित है । जिस पर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण का संयुक्त सामलाती कब्जा काश्त विद्यमान है । प्रार्थी का बचपन मे नाम पोपा कहकर के पुकारते थे जिससे प्रार्थी के पिता खेतसिंह पुत्र भूरसिंह के फौत होने पर फौतगी म्युटेशन में हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी का वास्तविक नाम राणसिंह के स्थान पर पोपा पुत्र खेता राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के परिवार कार्ड में प्रार्थी का नाम राणसिंह पुत्र खेतसिह दर्ज है ,आधार कार्ड, पहचान पत्र व बचत खाता पास बुक में प्रार्थी का नाम राणसिंह दर्ज किया गया है ।

प्रार्थी का नाम भूलवंश पोपा पुत्र खेता दर्ज होने से प्रार्थी अपने सही एवं वास्तविक नाम राणसिंह पुत्र खेतसिंह के नाम से कोई सरकारी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता तथा न ही कृषि विकास कार्य हेतु बैंको से ऋण आदि ले सकता है जिससे प्रार्थी को कई तरह की अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थी का अशुद्ध नाम पोपा पुत्र खेतसिंह के स्थान पर सही व शुद्ध नाम राणसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया गया ।

विद्ववान अधिवक्ता बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2070–73, पहचान पत्र , आधार कार्ड की छाया प्रति व सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थी पोपा पुत्र खेतसिंह व राणसिंह पुत्र खेतसिंह एक ही व्यक्ति है । तहसीलदार कल्याणपुर से प्राप्त रिपोर्ट व सरपंच ग्रम पचांयत कल्याणपुर से जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम पोपा के स्थान पर राणसिंह नाम दर्ज करने की अनुशंषा की गयी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिया ग्राम सीतली के में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पोपा पुत्र खेतसिंह के स्थान पर राणसिंह पुत्र खेतसिंह अंकित किये जाने के आदेष तहसीलदार कल्याणपुर को दिया जाता है।

(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:10:54 IST
Reason: SelfAttested